वित्तीय स्वीकृति

संख्या-23/2017/1259/52-3-17- बजट(13)/2016

प्रेषक,

डा0 पिंकी जोवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभ□□-3, □□□□: दिनांक 08 अगस्त, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय वे छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु जिला योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त (अ□□-व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/□□-1-02/□□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 तथा आपके पत्र सं0-1641/□0□0□0□0-983/□□□ प्रस्ताव/2017-18, दिनांक 24.07.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2(10) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1053.00 लाख के अनुमानित व्यय का 5/12वां भाग रू0 4,38,75,000/- (रू0 चार करोड़ अड़तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष पात्र छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम छात्रवृत्ति के भुगतान स्वरूप □□ धनराशि कोषागार के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह नवम्बर, 2017 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- जिन विद्यालयों/मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगतान में अनियमितताओं की शिकायत □□ □□में छात्रवृत्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुये उन विद्यालयों/मदरसों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान छात्र/छात्राओं की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगें।

4- धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में □0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने सें पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में शासन द्वारा समय पर निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शैक्षिक सत्र 2017-18 में पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का ही भुगतान किया जायेगा।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-□□□□□□-80-सामान्य-800-अन्य व्य -03- अल्पसंख्यको कां कल्य □-0302-अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों कों छात्रवृ□त्ति(जिला योजना) - 21-छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन के नामें डाला □□□□

3- □□□आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02 /□□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(□□0 पिंकी जोवल)
विशेष सचिव

संख्या-1259(1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, □□□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अ□□□□-1

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in